रजिस्टर्ड नं० एल०-33 एस० एम० 13-14/98.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 24 जून, 1998/3 आषाढ़, 1920

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग
विधायी एवं राजभाषा खण्ड

अधिसूचना

शिमला 2, 24 जून, 1998

संख्या एल० एल० आर० (राजभाषा) बी (16) 18/98.—"दि इंडियन ट्रेजर-ट्रोव (हिमाचल प्रदेश अमैन्डमैन्ट) ऐक्ट, 1972 (1972 का 16)" के राजभाषा (हिन्दी) अनुवाद को हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल

के तारीख 11 जून, 1998 के प्राधिकार के अधीन एतद्द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है और यह हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (1981 का 12) की धारा 3 के अधीन उक्त अधिनियम का राजभाषा (हिन्दी) में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
सचिव ।

भारतीय निखात निधि (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 1972

(1972 का अधिनियम संख्यांक 16)

(राज्यपाल द्वारा 20 अक्तूबर, 1972 को यथा अनुमत)

हिमाचल प्रदेश राज्य में यथा लागू भारतीय निखात निधि अधिनियम, 1878 (1878 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 6) में संशोधन करने के लिए **अधिनियम**।

भारत गणराज्य के तेइसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय निखात निधि (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1972 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश पर है।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

1878 के केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 6 में नई धारा 3-क का अन्त: स्थापन।

2. हिमाचल प्रदेश में यथा लागू भारतीय निखात निधि अधिनियम, 1878 (1878 का 6) (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्त:स्थापित की जाएगी, अर्थात :—

"**3-क. खोज निकालने की अनुमति.**—सरकार, आवेदन पर, किसी व्यक्ति को, ऐसे निबन्धन और शर्तों के अधीन, जैसी वह उचित समझे, निधि खोजने की अनुमति दे सकेगी।"

1878 के केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 6 की धारा 9 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 9 में "मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी" शब्दों के स्थान पर "वित्त आयुक्त" शब्द रखे जाएंगे।

1878 के अधिनियम संख्यांक 6 की धारा 10 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 10 में "या तो उसके पाने वाले को परिदान कर दिया जाएगा या उसके" शब्दों के स्थान पर "पाने वाले, सरकार" शब्द रखे जाएंगे।

1878 के केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 6 की धारा 11 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 11 में "तब कलक्टर" शब्दों के पश्चात् "ऐसी निधि का उसके पाने वाले को परिदान कर देगा" के स्थान पर, "ऐसी निधि का एक-तिहाई उसक पाने वाले को प्रदान कर देगा और शेष दो-तिहाई सरकार में निहित हो जाएगा :

परन्तु पाने वाले और सरकार के बीच किसी करार की दशा में, निधि उसके निबन्धनों के अनुसार विभाजित कर दी जाएगी," शब्द रखे जाएंगे ।

1878 के केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 6 की धारा 12 का प्रतिस्थापन।

6. मूल अधिनियम की धारा 12 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"12. जब ऐसा केवल एक व्यक्ति ही दावा करता है और उसके दावे पर कोई विवाद नहीं है, तब निधि का विभाजन किया जाना और अंशों का पक्षकारों को परिदान किया जाना .—

(1) जब किसी निधि के बारे में यथापूर्वोक्त कोई घोषणा की गई है और केवल एक व्यक्ति ही ऐसी निधि के पाने वाले से भिन्न है, इस प्रकार हाजिर हुआ है और उसने दावा किया है और पाने वाले व्यक्ति ने या सरकार ने उस व्यक्ति के दावे पर कोई विवाद नहीं किया है, तब कलक्टर निधि को, उसे पाने वाले, सरकार और इस प्रकार दावा करने वाले व्यक्ति के बीच उप-धारा (2) के उपबन्धों के अनुसार विभाजित करने की कार्यवाही करेगा ।

(2) यदि सरकार, पाने वाले और ऐसा दावा करने वाले व्यक्ति या इन दोनों में से किसी ने निधि के व्ययन के बारे में कोई ऐसा करार नहीं किया है जो तत्समय प्रवृत्त है, तो निधि का आधा, ऐसे पाने वाले और स्वामी को समान अंश में आबंटित किया जाएगा और अवशिष्ट सरकार में निहित हो जाएगा । यदि सरकार ने, ऐसा पाने वाले ने और ऐसा दावा करने वाले व्यक्ति ने ऐसा कोई करार किया है, तो निधि का व्ययन उसके अनुसार किया जाएगा । यदि सरकार और केवल ऐसे पाने वाले ने ही ऐसा करार किया है तो निधि के तीन चौथाई का व्ययन निबन्धनों के अनुसार किया जाएगा और अवशिष्ट का आबंटन ऐसे दावा करने वाले व्यक्ति को किया जाएगा । यदि ऐसा पाने वाला और ऐसा दावा करने वाले ने ही केवल ऐसा करार किया है, तो निधि के आधे का व्ययन उसके अनुसार किया जाएगा और शेष आधा सरकार में निहित हो जाएगा :

परन्तु यदि कलक्टर, किसी मामले में, ठीक समझता है तो वह किसी निधि का इस उप-धारा द्वारा यथा निर्देशित रूप में विभाजन करने की बजाए —

(क) दोनों में से किसी एक पक्षकार को ऐसी सम्पूर्ण निधि या उसमें ऐसे पक्षकार के अपने अंश से अधिक का आबंटन, ऐसे पक्षकार द्वारा कलक्टर को दूसरे पक्षकार के लिए इतनी धनराशि क दिए जाने पर, कर सकेगा जितनी कि कलक्टर, यथास्थिति, उस दूसरे पक्षकार

के अंश या इस प्रकार आबंटित आधिक्य के समतुल्य, नियत करे; अथवा

(ख) ऐसी निधि का या उसके किसी प्रभाग का, लोक नीलामी द्वारा विक्रय कर सकेगा और विक्रय आगमों का इस उप-धारा के अनुसार पक्षकारों के बीच विभाजन कर सकेगा:

परन्तु यह और भी कि जब कलक्टर ने धारा 9 के अधीन अपनी घोषणा द्वारा किसी ऐसे दावे को अस्वीकार कर दिया है जो इस अधिनियम के अधीन किसी एसे व्यक्ति द्वारा किया गया था, जो उक्त पाने वाले या जिस स्थान में निधि पाई गई है उस स्थान के स्वामी के रूप में दावा करने वाले व्यक्ति से मिला है, तब ऐसा विभाजन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि दो मास न बीत गए हों उस व्यक्ति द्वारा, जिसका दावा इस प्रकार अस्वीकार कर दिया गया है, धारा 9 के अधीन अपील न की गई हो अथवा यदि इस प्रकार अपील की गई है तो जब तक ऐसी अपील खारिज न की जा चुकी हो ।

(3) जब कलक्टर ने इस धारा के अधीन विभाजन कर दिया है, तब वह पक्षकारों की ऐसी निधि के भाग या उनके बदले में उस धन का परिदान करेगा जिसके लिए वे ऐसे विभाजन के अधीन हकदार हैं ।

7. मूल अधिनियम की धारा 13 को उस धारा की उप-धारा (1) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उप-धारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उप-धाराएं जोड़ी जाएंगी, अर्थात :— 1878 के केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 6 की धारा 13 का संशोधन ।

"(2) यदि किसी ऐसे व्यक्ति, जो इस प्रकार हाजिर हुआ है और जिस ने दावा किया है, और का अधिकार सरकार द्वारा विवादित है, तो मामला कलक्टर द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

(3) उप-धारा (2) के अधीन कलक्टर के अवधारण से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे अवधारण की तारीख से दो मास के भीतर वित्त आयुक्त को अपील कर सकेगा ।

(4) अपील प्राधिकारी के विनिश्चय के अध्यधीन उप-धारा (2) के अधीन कलक्टर का विनिश्चय अन्तिम और विनिश्चायक होगा ।"

8. मूल अधिनियम की धारा 15 और धारा 16 के स्थान पर, निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात :— 1878 के केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 6 की धाराएं 15 और 16 का प्रतिस्थापन ।

"15. सिविल वाद के विनिश्चय पर निधि का विभाजन.—(1) यदि ऐसा कोई वाद संस्थित किया जाता है और उसमें वादी का दावा अन्तिम रूप से सिद्ध हो जाता है, या दावेदार का अधिकार कलक्टर द्वारा या अपील पर वित्तायुक्त द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, तो कलक्टर धारा 12 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, निधि का उसके (दावेदार के), पाने वाले और सरकार के बीच विभाजन करेगा ।

(2) यदि कोई ऐसा वाद यथापूर्वोक्त संस्थित नहीं किया जाता है और यदि ऐसे सभी वादों में वादी के दावे अन्तिम रूप से अस्वीकार कर दिए जाते हैं

या दावेदार का अधिकार कलक्टर द्वारा और अपील की दशा में वित्त आयुक्त द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है, तो कलक्टर, धारा 11 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, निधि का पाने वाले और सरकार के बीच विभाजन कर देगा ।

16. **स्वामी और पाने वाले के अंशों को अर्जित करने की शक्ति.**—कलक्टर, धारा 9 के अधीन घोषणा करने के पश्चात् और इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उस द्वारा यथा विभाजित निधि का अंश उसके स्वामी या पाने वाले को परिदत्त करने से पहले, किसी भी समय, अपने द्वारा हस्ताक्षरित लेख द्वारा अपने इस आशय की घोषणा कर सकेगा कि वह सरकार की ओर से, पाने वाले या स्वामी या दोनों के अंश को ऐसे पाने वाले या स्वामी के अंश या अंशों की सामग्री के मूल्य के बराबर, धनराशि, और साथ ही उस मूल्य का पंचमांश उसके हकदार व्यक्ति को देकर अर्जित कर लेगा, तथा वह धनराशि खजाने में ऐसे व्यक्ति के जमाखाते निक्षिप्त कर सकेगा; और उसके बाद निधि का ऐसा अंश या अंशों को सरकार की सम्पति समझा जाएगा और इस प्रकार निक्षिप्त किए गए धन को यावतशक्य ऐसे बरता जाएगा मानो कि वह ऐसे व्यक्तियों की निधि का अंश हो या अंश हों ।

निरसन और व्यावृत्तियां।

9. पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथा लागू भारतीय निखात निधि (पंजाब अमैन्डमेंट) ऐक्ट, 1960 (1960 का 24) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है :

परन्तु वह निरसन —

(क) ऐसे निरसित अधिनियम के पूर्व प्रवर्तन पर या इसके अधीन सम्यक् रूप से की गई अथवा सहन की गई किसी बात पर, या;

(ख) ऐसे निरसित अधिनियम के अधीन अर्जित, प्रोदभूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व पर, या

(ग) ऐसे निरसित अधिनियम के विरुद्ध किए गए किसी अपराध के बारे में उपगत किसी शास्ति, समपहरण या दण्ड पर, या

(घ) यथापूर्वोक्त किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व शास्ति, समपहरण या दण्ड के बारे में किसी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार पर;

प्रभाव न डालेगा और ऐसा कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार ऐसे संस्थित किया जा सकेगा, चालू रखा जा सकेगा या प्रवर्तित किया जा सकेगा और ऐसी कोई शास्ति, समपहरण या दण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा मानो यह अधिनियम पारित नहीं किया गया था ।

(2) उप-धारा 1 के परन्तुक के उपबन्धों के अध्यधीन, उप-धारा (1) द्वारा निरसित अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई, जहां तक कि वह इससे अनसंगत हो, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्ध के अधीन की गई समझी जाएगी और वह तदनुसार तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक कि वह इस प्रकार संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई किसी बात या कार्रवाई द्वारा अतिष्ठित नहीं कर दी जाती है ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।